न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी जिला–पाली

पीठासीन अधिकारी– श्री विवेक व्यास (R.A.S.)

राजस्व विविध संख्या – 03/2022

तारीख दायरा :– 04.08.2022

प्रार्थी :–

सम्पतसिंह पुत्र श्री गुलाबसिंह , जाति – राव
निवासी – भीटवाडा, तहसील–बाली, जिला – पाली

–: विरूद्ध :–

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार, जरिये भूमिधारी तहसीलदार देसूरी जिला–पाली(राज.)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1– श्री भरत जै राठौड – प्रार्थी की ओर से।
2– पैरोकार सरकार शंकरलाल नायब तहसीलदार।

–: आदेश :– दिनांक– 5/6/2024.

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवदेन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि सरहद मौजा सरथूर, तहसील–देसूरी में राजस्व भूमि खसरा नम्बर 683/1 रकबा 2.32 हेक्टर किस्म चाही दोयम की आई हुई विद्यमान है जो आराजी बतौर खातेदार प्रार्थी की ही है लेकिन राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम सम्पतसिंह होते हुये भी चम्पालाल अंकित कर दिया है जबकि प्रार्थी का वास्तविक व सही नाम चम्पालाल नहीं होकर सम्पतसिंह है। प्रमाण स्वरूप जमाबंदी वर्तमान संलग्न प्रस्तुत है।

यह कि प्रार्थी का अन्य तमाम ही अभिलेख दस्तावेज सम्पतसिंह के नाम से ही बना हुआ है जिसके आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशनकार्ड, पेन कार्ड व भारतीय स्टेट बैंक की पाकबुक सम्मिलित है जिससे सभी दस्तावेज पर नाम प्रार्थी का सम्पतसिंह अंकित है। जिससे मानवीय भूल व त्रुटि को सुधारा जाकर प्रार्थी का नाम चम्पालाल के स्थान पर सम्पतसिंह किया जाना न्यायहित में व आवश्यक है तथा त्रुटि व भूल को सुधारा जाने पर राज्य सरकार व अन्य किसी का भी हित प्रभावी नही होता है अतः प्रार्थी को हुई भूल व त्रुटि की जानकारी होते ही बिना किसी देरी के प्रार्थना पत्र 136 एल.आर.एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के नाम राजस्व अभिलेख में बतौर खातेदार चम्पालाल के स्थान पर सम्पतसिंह पुत्र श्री गुलाबसिंह जाति राव निवासी भीटवाडा तहसील बाली दर्ज किये के आदेश जारी किये जाने का निवेदन किया ।

पेज लगातार 02 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी को सुना गया। प्रकरण में मामला नाम शुद्धि का है। जिसकी दुरूस्ती की जाना आवश्यक प्रतीत होता है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। पैरोकार सरकार तहसीलदार देसूरी भूमिधारी को नोटीस जारी किया। पैरोकार सरकार द्वारा दिनांक 12.04.2023 को जवाब प्रस्तुत कर जाहिर किया कि मिलान क्षेत्रफल अनुसार मौजा सरथूर का खसरा नम्बर 683 पुराने खसरा नम्बर 285 मी. व 287 से बने है। जिसमें नामान्तरण कमांक 222 द्वारा चम्पालाल पुत्र गुलाबसिंह जाति राव दर्ज हुआ है। नामान्तरण बेचान का है चूंकि प्रार्थी का नाम बेचान दस्तावेज के आधार पर राजस्व रेकर्ड में चम्पालाल पुत्र गुलाबसिंह जाति राव दर्ज हुआ है जिससे एल.आर.एक्ट की धारा 136 में शुद्धि किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

प्रत्रावली में प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा फार्म नम्बर 3 के साथ कार्यालय ग्राम पंचायत भीटवाडा द्वारा दिनांक 01.06.2024 को पहचान प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पहचान पत्र अनुसार चम्पालाल उर्फ सम्पतसिंह राजावत पुत्र श्री स्व. गुलाब सिंह राजावत जाति राव निवासी भीटवाडा को गावं में चम्पालाल एवं सम्पतसिंह दोनों ही नामों से सम्बोधित किया जाता है तथा दोनों ही नामों से जानते है अर्थात चम्पालाल एवं सम्पतसिंह एक ही व्यक्ति होकर दस्तावेज नाम सम्पतसिंह पुत्र गुलाबसिंह है जो सही है।

प्रार्थना पत्र में बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन एवं ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत ग्राम पंचायत भीटवाडा द्वारा जारी पहचान प्रमाण–पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट जाहिर होता है कि प्रार्थी को गाव में चम्पालाल एवं सम्पतसिंह दोनों ही नामों से सम्बोधित किया जाता है तथा दोनों ही नामों से जानते है। चम्पालाल एवं सम्पतसिंह एक ही व्यक्ति होकर दस्तावेज नाम सम्पतसिंह पुत्र गुलाबसिंह है जो सही है। जिससे प्रार्थी का नाम दुरस्त किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व अभिलेख मौजा ग्राम सरथूर के खसरा नम्बर 683/1 रकबा 2.32 हेक्टर में प्रार्थी का नाम दरूस्ती कर चम्पालाल के स्थान पर सम्पतसिंह पुत्र गुलाबसिंह जाति राव निवासी भीटवाडा दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार देसूरी /पटवारी हल्का बडौद तदनुसार नाम दुरूरस्ती कर राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

आदेश आज दिनांक 5/6/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
देसूरी
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)